भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2050

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की स्थिति के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट

2050. श्री उत्तम कुमार रेड्डीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सही मार्ग अपनाने का खुलासा करने के लिहाज से किसानों की स्थिति के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में सीमांत, लघु, मध्यम और बड़ी भूमि वाले किसानों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार औसत आय कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने भूमिहीन किसानों की आय में सुधार के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का सृजन किया गया है और क्या इसके परिणामस्वरूप इस कार्य में लगे किसानों की आय में वृद्धि हुई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): जी, नहीं। हालाँकि, किसान की आय को दोगुना (डीएफआई) करने की रिपोर्ट की सिफारिशों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए एक अधिकार प्राप्त निकाय गठित किया गया है जो आवधिक रूप से इस संबंध में प्रगति की समीक्षा करता है।

(ग) देश में किसान परिवारों की आय का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा समय-समय पर आयोजित 'किसान परिवारों की स्थिति आकलन का सर्वेक्षण' के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2013 में किए गए इस तरह के नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से प्रति किसान परिवार अखिल भारतीय औसत मासिक आय 6426 रूपए होने का अनुमान है। चूंकि किसान परिवारों की आय पर अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2013 में किया गया था। अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान आय में किस सीमा तक बढ़ोतरी हुई, ज्ञात नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत सरकार रोजगार प्रदान कर रही है, जिनका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा भूमिहीन किसानों को लाभ पहुंचाना है। इनमें कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार उप-मिशन और अन्य मंत्रालयों की योजनाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), आदि शामिल हैं।

(ङ.) सृजित किए गए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की संख्या अनुबंधों में दी गई है। चूंकि पिछले साल संवर्धित किए गए एफपीओ प्रारंभिक चरण में हैं, इसलिए शामिल किसानों के आय वृद्धि में उनके प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगा।

लो.स.अता.प्र.सं.2050
अनुबंध

पिछले वर्ष के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत संवर्धित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की राज्यवार संख्या		
क्र.सं.	**राज्य**	**2018-19 में कुल संख्या या संवर्धित पीई**
1	छत्तीसगढ़	1
2	झारखंड	3
3	केरल	1
4	महाराष्ट्र	6
5	ओडिशा	5
6	उत्तर प्रदेश	1
	सकल योग	**17**

लो.स.अता.प्र.सं.2050
अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एसएफएसी द्वारा संवर्धित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की राज्य वार संख्या		
क्र.सं.	**राज्य**	**2018-19**
1	बिहार	4
2	हिमाचल प्रदेश	1
3	झारखंड	2
4	कर्नाटक	1
5	मध्य प्रदेश	4
6	महाराष्ट्र	4
7	मणिपुर	2
8	राजस्थान	3
9	उत्तर प्रदेश	8
10	पश्चिम बंगाल	11
कुल		**40**

नोट: - ब्यौरे पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख के अनुसार

लो.स.अता.प्र.सं.2050

अनुबंध

नाबार्ड द्वारा पिछले वर्ष 2018-19 में सृजित एफपीओ		
क्र.सं.	**आरओ के नाम**	**नाबार्ड द्वारा पिछले वर्ष 2018-19 में सृजित एफपीओ**
1	अंडमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	2
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	2
5	बिहार	25
6	छत्तीसगढ़	0
7	गोवा	1
8	गुजरात	3
9	हरियाणा	14
10	हिमाचल प्रदेश	16
11	जम्मू और कश्मीर	0
12	झारखंड	59
13	कर्नाटक	6
14	केरल	12
15	मध्य प्रदेश	0
16	महाराष्ट्र	9
17	मणिपुर	0
18	मेघालय	0
19	मिजोरम	4
20	नागालैंड	0
21	नई दिल्ली	0
22	ओडिशा	114
23	पंजाब	5
24	राजस्थान	7
25	सिक्किम	0
26	तमिलनाडु	5
27	तेलंगाना	243
28	त्रिपुरा	0
29	उत्तर प्रदेश	145
30	उत्तराखंड	0
31	पश्चिम बंगाल	25
32	मुंबई	0
	कुल	**698**

****